जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 01/2018(RCMS No. 2018/00013) अनवान् उषारानी पत्नी श्री बिशम्बर लाल चुग निवासी मकान नम्बर 03, गली नम्बर 7, सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर बनाम 1. अभिषेक पुत्र श्री बिशम्बर दास जाति अरोडा आयु करीब 37 वर्ष निवासी मकान नं 7, सेतिया कालोनी, श्रीगंगानगर 2. प्रिती पत्नी अभिषेक जाति अरोडा, आयु करीब 35 वर्ष निवासी मकान नं 7, सेतिया कालोनी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.01.2019

अपीलार्थी उषा रानी पत्नी श्री बिशम्बर लाल चुग आज उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी उषा रानी ने दिनांक 15.01.2019 को इस न्यायालय में उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि इस प्रकरण में पक्षकारण का आपस में राजीनामा हो चुका है और प्रार्थिया अब इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है, इसलिए इस प्रकरण को दाखिल दफ्तर कर दिया जावे। प्रार्थिया की पहचान श्री सुरेश धमीजा, अधिवक्ता द्वारा की गई है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह अपील प्रार्थिया उषा रानी द्वारा अपने पुत्र अभिषेक एवं पुत्र वधु प्रिती के विरूद्ध यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 31.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपने निर्णय दिनांक 31.10.2017 के द्वारा खारिज कर दिया था।

चूंकि अपीलार्थिया अब राजीनामा के कारण इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है इसलिए इस प्रकरण में इसी आधार पर कार्यवाही समाप्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भी आदेश की एक–एक प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर